UPRN180012112021

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूल वाद सं० 72/2021

दिनेश चन्द्र आदि बनाम रामप्रकाश

दिनांक – 14/08/2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु सं० 3,4 व 5 पर सुना गया। जिसका निस्तारण निम्नवत् है–

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 3 – वाद बिन्दु सं० 3 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। वादीगण द्वारा उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। उक्त वाद में विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन वादीगण द्वारा मु० 3,00,000/– रु० किया गया है, जो कि उचित है। अतः वादीगण द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 3 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 – वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था। वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादीगण द्वारा विवादित भूमि का मूल्यांकन मु० 3,00,000/– रु० किया गया है तथा न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार अधिकतम न्यायशुल्क मु० 500/– रु० वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अदा किया गया है। अतः वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 4 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 5– वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर आर्थिक आधार पर विरचित किया गया था, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि प्रस्तुत वाद को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित भूमि में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिए योजित किया गया है। उक्त वाद का मूल्यांकन मु० 3,00,000/– रु० निर्धारित किया गया है। अतः वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस न्यायालय के मत में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 5 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 14/09/2026 को पेश हो।

दिनांक– 14/08/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.08.14 16:56:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court